उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रवेश शुल्क,छात्रवृत्ति,मानदेय,रियायतें,प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जाति आधार पर मिलने वाली सुविधाओं (आरक्षण) में सम्बन्धित शासनादेशों, कार्यालयी ज्ञापों,कार्यवृतों आदि का संकलन ।

प्रथम खण्ड

(09 नवम्बर,2000 से पूर्व जारी शासनादेशों,कार्यालय ज्ञाप आदि जो राज्य में अद्यतन लागू हैं)

संख्या 732/6(1)28/28–2–80

प्रेषक,

श्री कृष्ण विहारी मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ०प्र०
(शिक्षा अर्थ–3 विभाग) इलाहाबाद।

पर्वतीय विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक नवम्बर 17, 1980

विषय : पर्वतीय अंचल में असेंचित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां उच्च शिक्षा हेतु 10 कि०मी० की परिधि में कोई डिग्री कालेज उपलब्ध न हो। यह क्षेत्र असेचित समझे जायेंगे। ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों को जो उच्च अध्ययन हेतु अपने निवास स्थान से निकटतम महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र (1980–81) से विशेष छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को रु० 100/– प्रतिमाह तथा ऐसे कालेजों में जहां छात्रावास की सुविधा न हो रु० 125/– प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति की सुविधा केवल स्नातक स्तर तक की उपलब्ध होगी।

2– राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980–81) में उक्त प्रयोजन हेतु रु० 2,00,000/– केवल दो लाख रूपये मात्रद्ध की धनराशि आपके अधिकार में रखते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूचना यथा समय शासन को भी भेजी जाय। छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली संलग्न है।

3– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष (1980–81) के बजट शीर्षक "299–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र आयोजनागत–ग–शिक्षा (ध) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतम शिक्षा (IV) छात्रवृत्ति 1 /छात्रवेतन (9) असेचित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा के नामे लिखा जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– ई–11–2507/दर–1980 दिनांक 8 सितम्बर, 1980 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
(कृष्ण बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या –732(1) 5(1)/28–2–80

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1– महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– शिक्षा निदेशक व संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) उ०प्र० पार्क रोड, लखनऊ।
3– उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4– उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी (गढ़वाल)।

संख्या 6472/5(57)79/28-2-83

प्रेषक,

श्री शम्भू नाथ सिन्हा,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आठों पर्वतीय जिलों के जिलाधिकारी।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक अक्टूबर 26, 1983

विषय : पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं० 2-9-13 अठाईस-वी-डी० ए० 66, दि० 30-4-1966 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि आपको विदित है कि पर्वतीय जनपदों में उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उक्त जनपदों के छात्रों को जनपद तथा अपने क्षेत्रों से बाहर उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीन सीमान्त जनपदों के लिये वर्ष 1966 में सीमान्त छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई थी जो अन्ततः सभी आठों जनपदों पर भी उसी रूप लागू कर दी गयी थी। इस बात को देखते हुए कि इस मध्यान्तर में पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा में विस्तार हुआ है। इस प्रश्न पर समस्त पहलुओं से विचार करने के लिए उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं पाठयक्रम हेतु छात्रवृत्ति देना समुचित है जो प्रोफेशनल तथा तकनीकी प्रकार के हैं तथा जिनके लिये सुविधा पर्वतीय जनपदों में से किसी भी जनपद में नहीं है अथवा यदि है भी तो उनके प्रवेश अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है। उपर्युक्त आधार पर शासनादेश सं० 2-9-13 टाइस -वी०डी०ए०-66 दिनांक 30-4-1966 एवं तदोपरान्त इस सम्बन्ध में निर्गत समस्त आदेश एवं नियम उस सीमा तक संशोधित हो जायेंगे, जहां तक इस नियमावली में प्राविधान किया गया है। शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि यह नियमावली 1-7-83 लागू मानी जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं० ई०-11-1776/2/83 दिनांक 29-7-1983 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शम्भू नाथ सिन्हा
उप सचिव

संख्या 6972(1) /5(57/28-2-79/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- आठों जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक।
3- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ०प्र० इलाहाबाद।
4- आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5- संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) पार्क रोड, लखनऊ।
6- मण्डलीय उप शिक्षा उप शिक्षा निदेशक कुमायूँ एवं गढ़वाल।
7- शिक्षा अनुभाग-11 वित्त ई- 11 अनुभाग।
8- निदेशक सूचना विभाग,

पर्वतीय अंचल में असंगित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियमावली जिसका उल्लेख शासनादेश संख्या-732/5(1)/26-2-80 दिनांक नवम्बर 17, 1980 में किया गया है।

---

1. यह छात्रवृत्ति पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर निवास करने वाले छात्र/छात्राओं को उपलब्ध होगी जिनके निवास स्थान से 10 कि0मी0 की परिधि के अन्दर कोई महाविद्यालय न हो और वे अपने निवास स्थान के निकटतम महाविद्यालय में अध्ययन करें। यदि निकटतम महाविद्यालय में वांछित संकाय (विज्ञान संकाय अथवा वाणिज्य संकाय) न हो तो वह महाविद्यालय निकटतम महाविद्यालय होगा जहां पर वांछित विषयों की सुविधा होगी।
2. यह छात्रवृत्ति केवल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में उच्च सामान्य शिक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को ही प्रदान की जावेगी।
3. यह छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी जिन्होंने इण्टर परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हों।
4. यह छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी जिनके अभिभावकों की आय रू0 600/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी। आय का प्रमाण-पत्र राजकीय कर्मचारी होने की दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से तथा अन्य लोगों का सम्बन्धित जिलाधिकारी से लिया जावेगा।
5. छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष की होगी (प्रथम वर्ष में 8 माह तथा द्वितीय वर्ष में 12 माह) यह छात्रवृत्ति केवल स्नातक स्तर तक ही सीमित रहेगी।
6. छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए रू0 100/- प्रतिमाह तथा छात्रावासों से बाहर वालों के लिए रू0 125/- प्रतिमाह होगी।
7. छात्रवृत्ति की स्वीकृति शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा आवश्यक जांच करने के पश्चात् दी जावेगी।

पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्र के बाहर उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु मिलने वाली छात्रवृत्ति के नियम।

शीर्षक- 1- यह नियमावली पर्वतीय जनपदों के छात्रों को पर्वतीय क्षेत्र के बाहर परन्तु भारत वर्ष के अन्दर उच्चतर एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु मिलने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा की नियमावली कहलायेगी।

पाठ्यक्रम एवं अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि 2- इस नियमावली के अन्तर्गत केवल निम्नांकित पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक के सम्मुख अंकित धनराशि की सीमा तक छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी।

पाठ्यक्रम		अधिकतम अनुमन्य छात्रवृत्ति की धनराशि
1		2
स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम		
1-	एम.एस.सी. (ए.जी.)	100 रू0 प्रतिमास
2-	एम.एस.सी. (हार्टीकल्चर)	100 रू0 प्रतिमास
3-	एम.एस.डब्लू.	100 रू0 प्रतिमास
4-	एम.पी.ए.	100 रू0 प्रतिमास
5-	एम.बी.ए.	150 रू0 प्रतिमास
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम		
6-	बी.ई.	150 रू0 प्रतिमास
7-	एम.बी.बी.एस.	150 रू0 प्रतिमास
8-	लाइब्रेरी साइंस डिग्री कोर्स	75 रू0 प्रतिमास
9-	बी.वी.एस.सी.	75 रू0 प्रतिमास
10-	बी.एस.सी. (ए.जी.)	75 रू0 प्रतिमास
11-	बी.टैक.	150 रू0 प्रतिमास
12-	बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग)	150 रू0 प्रतिमास
13-	इन्टेग्रेटेट कोर्स इन एप्लाइड जियोफिजिक्स	50 रू0 प्रतिमास
14-	आयुर्वेद, होमियोपैथी तथा यूनानी पंच वर्षीय डिग्री कोर्स	150 रू0 प्रतिमास
15-	बी.डी.एस.	150 रू0 प्रतिमास
डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम		
16-	डिप्लोमा इन प्रिंटिंग एण्ड टैक्नालॉजी	50 रू0 प्रतिमास
17-	डिप्लोमा इन मैडिकल कोर्स	50 रू0 प्रतिमास
18-	डिप्लोमा इन आर्ट व क्राफ्ट	50 रू0 प्रतिमास
19-	डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस	50 रू0 प्रतिमास
20-	डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन	50 रू0 प्रतिमास
21-	यूनानी डिप्लोमा कोर्स	50 रू0 प्रतिमास
22-	नर्सरी ट्रेनिंग	50 रू0 प्रतिमास

छात्रवृत्ति की अवधि 3- यह छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम की वास्तविक अवधि या 9 माह जो भी कम हो, के लिए देय होगी। परन्तु चिकित्सा शिक्षा के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए इन्टर्नशिप की अवधि को छोड़कर पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिये छात्रवृत्ति देय होगी।

पात्रता 4- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को अनुमन्य होगी जिन्होंने सम्बन्धित पर्वतीय जिले के जिलाधिकारी से जिले का मूल निवासी (डोमीसाइल्ड) होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो जो इस नियमावली में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम भारत के अन्दर उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम का शिक्षण/ट्रेनिंग देने के लिए शासन द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हों परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि छात्र के माता-पिता (अभिभावक यदि माता-पिता जीवित न हों) की वार्षिक आय 9000/- के वार्षिक से अधिक न हो।

अनुमन्यता 5- इस नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति केवल उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों/ट्रेनिंग के लिये मिलेगी जिनका उल्लेख इस नियमावली के नियम-2 में है।

6- जो छात्र शुल्क मुक्ति का लाभ पा रहे हों वे भी इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे।

7-ए- जो छात्र जिसे किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति या सहायता प्राप्त हो रही हो वह इन नियमों के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन पत्र दे सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस नियम के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति तथा अन्य स्रोत के मिलने वाली छात्रवृत्ति या सहायता की कुल धनराशि मिलाकर इस नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य छात्रवृत्ति के दूने से अधिक न होगी और यदि कुल धनराशि अधिक होती है तो उतनी धनराशि तक, जितनी कि छात्रवृत्ति की दूने से अधिक है, छात्रवृत्ति की धनराशि कम अनुमन्य की जायेगी।

7-बी- इस नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छात्रवृत्ति पाठ्यक्रमों के लिए एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक निरन्तर मिलती रहेगी, पर यह छात्र की सन्तोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर करेगी। यदि कोई छात्र जो नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पा रहा हो एक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या उसकी आचरण संतोषजनक नहीं रहा हो तो उन्हें दुबारा छात्रवृत्ति तभी अनुमन्य होगी जब वह निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों से 5% अधिक प्राप्त करे तथा उसका आचरण संतोषजनक प्रमाणित कर दिया जाय। एक छात्र के अनुत्तीर्ण होने तथा पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने पर उत्तीर्ण होने के बीच की अवधि के लिए कोई छात्रवृत्ति देय न होगी। यदि कोई छात्र एक ही स्तर पर दो बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या उसका आचरण असंतोषजनक होने की रिपोर्ट दुबारा प्राप्त होती है तब उसकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायगी। यदि कोई छात्र किसी वर्ष पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होता है तब उसे सामान्य परीक्षा से उसकी पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बीच के अन्तराल के लिए छात्रवृत्ति अनुमन्य न होगी।

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन-पत्र 8- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र इस नियमावली की अनुसूची "क" में निर्धारित प्रपत्र में उस संस्था के प्रधान को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा जिस संस्था में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहा हो अथवा ट्रेनिंग पा रहा हो। संस्था का प्रधान तब उसकी एक प्रति अपनी संस्तुति के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित करेगा।

स्वीकृति की प्रणाली। 9- संस्था के प्रधान के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी जो उसके नियंत्रण में हो, के माध्यम से आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा अभ्यर्थी की पात्रता से अपने को संतुष्ट करने के उपरान्त इस नियमावली के नियम-2 में निर्दिष्ट दरों एवं नियम 4,5 व 7 में उल्लिखित प्रतिबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि स्वीकृत करेंगे।

अनुबन्ध पत्र 10- इस नियमावली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को इस नियमावली के अनुसूची "ख" में प्रपत्र के एक अनुबन्ध पत्र प्रदेश के राज्यपाल के नाम भर देना होगा कि पाठ्यक्रम/ट्रेनिंग पूरी होने पर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र की सेवाओं को शासन को यदि आवश्यकता हुयी तो उसे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर यदि ऐसा किन्हीं कारणों से सम्भव न हो सका तो उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र में किसी स्थान पर कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जा सकता है। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र द्वारा ऐसा न करने पर वह इस नियमावली के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि तथा छात्रवृत्ति की प्राप्ति के दिनांक से उस पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने का देनदार होगा। साथ ही यदि ऐसा छात्र अपना शिक्षण सफलता पूर्वक पूरा नहीं करता है तब शासन छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज सहित वापिस ले सकता है।

शम्भू नाथ सिन्हा
उप सचिव।

अनुसूची "क"

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

जिलाधिकारी

जिला ________________

1- आवेदन कर्ता का नाम, तथा स्थाई पता ग्राम, पट्टी तथा खण्ड का नाम सहित (स्पष्ट अक्षरों में) _____

2- पिता का नाम (यदि जीवित न हों तो अभिभावक का नाम) तथा पता _____

3- माता-पिता / संरक्षक की मासिक / वार्षिक आय (प्रमाण पत्र संलग्न करें) _____

4- शैक्षिक योग्यता :-

कक्षा	स्कूल या महाविद्यालय	प्राप्त श्रेणी	अन्तिम परीक्षा के प्राप्त अंक (अंक सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)		अतिरिक्त सूचना
			कुल अंक	प्राप्त अंक	
1	2	3	4	5	6

5- कक्षा तथा संस्था का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययन कर रहा हो _____

6- पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिए छात्रवृत्ति चाहिए। _____

7- क्या छात्र किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति / आर्थिक सहायता पा रहा है यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण- _____

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त दी हुई सूचनाएँ सही है।

_____ _____

(हस्ताक्षर-माता-पिता / संरक्षक) (हस्ताक्षर : आवेदनकर्ता)

संस्थाध्यक्ष की संस्तुति

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री / कु0 _____ कक्षा _____ संस्था _____ स्कूल / कालेज / विश्वविद्यालय संस्थान में अध्ययनरत है जिनको सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त "कोर्स" में निर्धारित छात्र के रूप में अध्ययन के लिये प्रवेश दिया गया है, वह ग्राम _____ पोस्ट _____ जिला _____ के निवासी है। इनका व्यवहार सन्तोषजनक है। संस्था के अभिलेखों के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। मैं संस्तुति करता हूँ कि चालू शैक्षणिक सत्र में इनको छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 _____ स्वीकृत की जाय।

_____ _____

दिनांक : हस्ताक्षर तथा मुद्र

स्थान : संस्थाध्यक्ष

जिलाधिकारी द्वारा पारित आज्ञा

आवेदनकर्ता श्री / कु0 _____ पुत्र / पुत्री श्री _____ आर. / आ. को छात्रवृत्ति की धनराशि _____ कक्षा _____ संस्था _____ स्कूल / कालेज / संस्थान वर्ष _____ में शिक्षा ग्रहण करने के लिये स्वीकृति दी जाती है।

हस्ताक्षर-जिलाधिकारी

संख्या : 261/15-86(11)-4ए(1)/79

प्रेषक,

डा० एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 1986

विषय : **प्रदेश के अनानुदानित अशासकीय महाविद्यालयों को शासन की अनुरक्षण सूची में सम्मिलित करने हेतु मानकों का निर्धारण।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अनानुदानित अशासकीय सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों को शासन की अनुरक्षण अनुदान सूची में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानकों को निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) महाविद्यालय अपने अस्तित्व के न्यूनतम तीन वर्ष पूरे कर चुका हो।

(2) महाविद्यालय को सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी मान्यता प्रदान कर दी गई हो।

(3) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई विवाद न हो और वह सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

(4) महाविद्यालय में नियमानुसार चयनित एवं अनुमोदित प्राचार्य तथा प्रवक्ता नियुक्त कर लिये गये हों।

(5) महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल उत्तम रहा हो (75 प्रतिशत से अधिक)।

(6) महाविद्यालय शैक्षिक एवं वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हो और इसकी कुल छात्र संख्या 150 हो गई हो। केवल उन्हीं विषयों के प्रवक्ता पदों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में छात्र संख्या न्यूनतम 25 हो। छात्राओं के महाविद्यालय में छात्राओं की कुल छात्र संख्या 100 हो तथा स्नातक स्तर के विषय के प्रथम वर्ष की न्यूनतम छात्राओं की संख्या 20 हो।

(7) अनुदान सूची पर लाने हेतु आय-व्ययक में प्रावधान उपलब्ध हो।

2- महाविद्यालयों की स्थायी मान्यता की तिथि को ध्यान में रखते हुए क्रमवार ही संस्था को अनुदान सूची पर आने का प्रस्ताव किया जाय। क्रमांतरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिबन्धों को महाविद्यालय द्वारा पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाय :

(1) महाविद्यालय अनुशासन बनाये रखने का उचित प्रबन्ध करेंगे।

(2) विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के आदेशों का सदैव पालन किया करेंगे।

(3) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण एवं अन्य शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं करेगा।

(4) महाविद्यालय यदि परीक्षा केन्द्र बना है तो उसके शिक्षार्थियों को नकल करने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया हो तथा महाविद्यालय सामूहिक नकल का दोषी नहीं पाया गया हो।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अनुदान अनुरक्षण सूची में सम्मिलित किये जाने की तिथि से महाविद्यालय का प्रबन्ध तन्त्र छात्रों से प्राप्त शुल्कांश का निर्धारित अंश वेतन संदाय खाते में नियमित रूप से जमा करेगा तथा महाविद्यालय की प्रगति की राशि एवं सम्पत्ति की आय नियमित रूप से अनुरक्षण कोष में जमा करेगा। अनुदान पर लगाये जाने के पूर्व के दायित्वों की पूर्ति शासन द्वारा नहीं की जायेगी।

4- उक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-XI-163/दस 85 दिनांक 20 जनवरी, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या 261(1)/15-86(11)-तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय का वित्त (व्यय नियंत्रण-11) अनुभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव।

1848/15-84(11)/14(1)/82

प्रेषक,

डा0 एस.एस. खन्ना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(1) अनुभाग दिनांक लखनऊ 28 मई 1984

विषय : गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा मांग की जाती रही है कि इन महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए उसी महाविद्यालय में तृतीयश्रेणी के पद रिक्त होने पर कुछ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जायें। इस मांग पर समुचित विचारोपरान्त शासन द्वारा यह स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय यह आदेश देते है कि प्रदेश के गैर सरकारी महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के लिपिक के स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पन्द्रह प्रतिशत उस महाविद्यालय में कार्यरत एस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति के आधार पर भरा जायेगा जिन्होंने उस कालेज में 5 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा जिनके सेवा अभिलेख सन्तोष जनक हों। यह पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी। पन्द्रह प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधे से कम भाग को छोड़ दिया जायगा तथा आधे से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आरक्षित कोटे की पूर्ति भविष्य में होने वाली रिक्तियों द्वारा की जायगी।

3. कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदनुसार परिनियमावलियों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या 1848(1)/15-84(11)/14(1)/82 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।

भवदीय,
एस.एस. खन्ना
संयुक्त सचिव।

संख्या : 5125/... 11-86-4ए(45)/85

प्रेषक,

डा० एस.एस. ...
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (11) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1986

विषय : प्रदेश के ... ली जाने वाली छात्र निधियों की ... एवं ...

महोदय,

[illegible]

में स्पष्ट आदेश न होने के कारण छात्र निधियों का दुरुपयोग होता है।

[illegible]

निम्नलिखित नियम मार्ग दर्शन हेतु बनाये जाते हैं :-

[illegible]

नियन्त्रण में रहेगी :-

1. क्रीड़ा शुल्क।
2. पत्रिका शुल्क।
3. परिचय पत्र शुल्क।
4. अध्ययन कक्ष शुल्क।
5. वार्षिक दिवस शुल्क।
6. परिषद शुल्क।
7. छात्र संघ शुल्क।
8. प्राथमिक चिकित्सा शुल्क।
9. निर्धन छात्र शुल्क।
10. काशन मनी।
11. अन्य कोई शुल्क जो शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा छात्र निधि घोषित किया जाय।

[illegible]

नियन्त्रण में होगी :-

1. छात्रावास शुल्क।
2. गर्म सद शुल्क (पंखा शुल्क)।
3. विकास शुल्क।
4. प्रासपेक्टस शुल्क।
5. छात्र पंजीकरण शुल्क।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क।
7. गृह परीक्षा शुल्क।

[illegible]

का संचालन एवं वितरण का पूर्ण उत्तरदायित्व प्राचार्य का होगा

3. छात्र कोष के लिये एक अथवा एक से अधिक परामर्शदात्री समिति बनाई जायेगी जिसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत होगा, यह समिति सम्बन्धित कोष के लिये प्राप्त [illegible]

[illegible]

प्राचार्य का होगा।

4. प्रत्येक छात्र कोष का पृथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक में खोला जायेगा जो प्राचार्य [illegible]

[illegible]

मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये वसूल की गई है।

[illegible]

मत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत (लैप्स) कर दी जायेगी।

[illegible]

इस शासनादेश की कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाये।

भवदीय

एस. एस. खन्ना

संयुक्त सचिव

संख्या 5125 1 / 15-11-88-49(46) / 85

[illegible] दिनांक 17 मई 1986 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

[illegible]

एस. एस. खन्ना

[illegible]

संख्या [illegible]

प्रेषक

डा0 एस.एस. खन्ना

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

शिक्षा (11) अनुभाग | लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई 1985

विषय : शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क मुक्ति दिया जाना.

महोदय

[illegible] अतएव प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में शुल्क मुक्ति प्रदान किये जाने में एक रूपता लाये जाने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय सहर्ष निम्नांकित आदेश देते हैं -

क्र0सं0 1-पत्र सं0 डिग्री आडिट/2121/10-23(38)/83-84 दिनांक 9-11-1983
क्र0सं0 2-अ0शा0 पत्र सं0 डिग्री आडिट/419 दिनांक 22-5-1985

(1) शुल्क मुक्ति की सुविधा सामान्यतः 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि के लिये दी जायेगी।

(2) यदि किसी माता/पिता के एक से अधिक पुत्र/पुत्री सारी महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और उनकी आर्थिक स्थिति शिक्षण शुल्क में रियायत की अपेक्षा करती हो तो महाविद्यालय के [illegible] दी जा सकती है।

3. [illegible] प्रतिशत की सीमा तक शिक्षण शुल्क से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

4. [illegible] तक की सीमा से अधिक नहीं होगी।

5. [illegible]

6. [illegible] न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।

7. [illegible] जायेगी।

8. [illegible] निधियों के शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायगी।

9. [illegible] अधिकारी से प्राप्त की जाय.

10. [illegible]

11. [illegible] महाविद्यालयों को अवगत कराने की कृपा करें।

भवदीय
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या 8202(1)/15-11-86 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या 8202(1)/15-11-86 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित -

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर,
4. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।
5. सचिवालय के निम्न अनुभाग
    1. शिक्षा अनुभाग-10
    2. शिक्षा अनुभाग-15
    3. वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-11

आज्ञा से
एस0 एस0 खन्ना
संयुक्त सचिव

संख्या : 8202/15-11-86-49(40)/85

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0) उ0प्र0
शिक्षा डिग्री आडिट अनुभाग,

सेवा में,

प्राचार्य/प्रचार्य एवं प्रबन्धक
समस्त अशासकीय महाविद्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांक डिग्री आडिट/11/1615-2100/86 दिनांक जुलाई 19, 1986

[illegible]

महोदयी/महोदय,

[illegible]

[illegible] अपनाई जाये उसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जगदेव प्रसाद,
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
उ0प्र0, इलाहाबाद

संख्या 676/15-11-87-3(11)/87

प्रेषक

डा0 बी.एम.एल. तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

शिक्षा 11 अनुभाग :

लखनऊ दिनांक 9 जुलाई 1987

विषय :— प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों की फीस की वसूली की प्रक्रिया

महोदय,

[illegible] 45 [illegible] 87 [illegible] के आदेश सहर्ष प्रदान करते हैं -

[illegible] में छः मास की शुल्क जनवरी मास में वसूल की जाय।

[illegible] पूर्ण रूपेण प्राचार्य तथा एकाउन्टेण्ट को उत्तरदायी माना जायेगा।

[illegible]

भवदीय
बी.एम.एल. तिवारी
संयुक्त सचिव।

संख्या 676 (11)/15-11-87 3 (11)/87 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
2. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, गोरखपुर।

अध्याय-दो

आरक्षण

I– लोक सेवाओं में आरक्षण

संख्या : 22/20/82 कार्मिक-2

प्रेषक

[illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश शासन

[illegible]

1 समस्त प्रमुख सचिव [illegible]
[illegible] शासन

2 [illegible]

3 [illegible]

[illegible]

लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर 1991

विषय : प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चुने गये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की गणना उनके लिए आरक्षित कोटे के विपरीत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश [illegible] 1991 [illegible] में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों [illegible] नहीं किया [illegible] अलग से भरा जायेगा।

2 [illegible]

(1) आरक्षित वर्ग के उसी अभ्यर्थी को श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर चयनित माना जाय, जिसे चयन के दौरान किसी भी स्तर पर सामान्य वर्ग [illegible] निर्धारित [illegible] के अवसरों की संख्या, पात्रता, विचारण क्षेत्र आदि में से किसी भी कोई छूट न दी गयी हो

[illegible] जाय।

3 [illegible]

भवदीय,

ओ०पी० आर्य,

सचिव

संख्या 22/20/82 (1) कार्मिक-2 तददिनांक

प्रतिलिपि [illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

(4) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।

(5) [illegible] उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) आयुक्त, अनुसूचित जाति/जनजाति उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) [illegible]

प्रेषक, संख्या ६४१/पन्द्रह/(१४)/९२ ४६ (१३)/९१

श्री के० डी० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(१) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) [illegible] इलाहाबाद।
(२) वित्त अधिकारी/ कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (१४) अनुभाग

दिनांकः लखनऊः ३० जून १९९२

विषय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड देने के लिये पूर्व सेवाओं की गणना किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में [illegible] के वेतनमानों का पुनरीक्षण [illegible] उच्च शिक्षा के [illegible] के शासनादेश संख्या [illegible] ८८-१४ (४)/८७ दिनांक ७, जनवरी १९८९ के संलग्नक-२ के प्रस्तर संख्या १०/१४ [illegible] सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड [illegible] की शर्तें संशोधित करते हुए [illegible] महाविद्यालयों [illegible] से सम्बद्ध महाविद्यालयों [illegible] निर्धारित करने की [illegible] प्रदान कर दी है:

(१) प्रवक्ता के पद हेतु सीनियर वेतनमान/चयन [illegible] के लिये [illegible] अशासकीय महाविद्यालय [illegible] तथा प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ नेशनल [illegible] आई०सी०एस०आर०, डी०आर०डी०ओ० [illegible] यू० जी० सी० [illegible] गई पूर्व [illegible] लाभ वरिष्ठ वेतनमान/चयन [illegible] के लिये दिया जा सकता है, यदि सेवाओं में [illegible] कोई [illegible] न हो तथा निम्नलिखित [illegible] हों:

(क) पूर्व सेवा का पद प्रवक्ता के [illegible] का रहा हो
(ख) प्रवक्ता के पद के लिये [illegible] पूर्व पद पर अर्हताएं उनसे निम्न श्रेणी की न रही हों
(ग) सम्बन्धित प्रवक्ता निर्धारित न्यूनतम [illegible] अर्हता रखता हो,
(घ) पद पर चयन निर्धारित प्रक्रिया के [illegible] किया गया हो,
(ङ) तदर्थ नियुक्ति अथवा अवकाश [illegible] में नियुक्ति एक वर्ष से कम अवधि की न रही हो,
(च) वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान देने के फलस्वरूप ऐसे प्रवक्ताओं का मध्य में पूर्व सेवा के आधार पर [illegible] का कोई [illegible] नहीं होगा,
(ज) उपर्युक्त के परिणाम स्वरूप पेंशन योजना में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त [illegible] नहीं होगा

(२) मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश की शेष शर्तें शासनादेश संख्या [illegible] दिनांक [illegible] १९८९ के अनुसार [illegible]
(३) [illegible] महाविद्यालयों के [illegible] में अलग से विचार [illegible]
(४) ये आदेश [illegible] विभाग की अशासकीय [illegible] जा रहे हैं।

[illegible]

भवदीय,
ह०/-
(के डी श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

प्रेषक संख्या- ४७७०/१५-(१७)-९२ ७ (४)/९२

श्री [illegible] नाथ झा,
[illegible]
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(१) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) [illegible] इलाहाबाद।
(२) वित्त अधिकारी, कुलसचिव
[illegible] विश्वविद्यालय [illegible]

शिक्षा [illegible] अनुभाग

लखनऊ दिनांक ३१ [illegible] १९९२

विषय [illegible] सीनियर [illegible] स्कीम के अन्तर्गत [illegible] की गणना [illegible]

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० ६४१/पन्द्रह [illegible] विश्वविद्यालयों [illegible] सीनियर स्केल/सेलेक्शन [illegible] कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत महाविद्यालयों के शिक्षकों [illegible] संशोधित शर्तें [illegible] की [illegible] इस शासनादेश [illegible] हैं।

[illegible]

संख्या - 4784/15-(17)-92-78(9)/92

प्रेषक,

श्री श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (17) अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1992

विषय : **कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल/सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए पूर्व सेवाओं की गणना किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

[illegible] 1992 [illegible] 15 [illegible] 92-78(9)/92 [illegible] 199[illegible] [illegible] सहर्ष स्वीकृति प्रदान [illegible]

2. [illegible] शासनादेश [illegible] संशोधित समझा जाय।

3. [illegible] 2670 संख्या-3-11 2674/92 [illegible] रहे हैं।

भवदीय
श्याम लाल केसरवानी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 4784(1)/15-(17)-92-78(9)/92

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
[illegible] सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली [illegible] 90 [illegible] एस सेल दिनांक 20 [illegible] 1991 के सन्दर्भ में।
[illegible] यू0 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली 110001 [illegible] एफ 1-29/88 यू0आई0 दिनांक 23 अगस्त, 1990 के सन्दर्भ में।
[illegible] स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- वित्त (ई-11)।
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
7- वित्त [illegible] अनुभाग 2
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-3
9- शिक्षा अनुभाग-10/11/17।

आज्ञा से
श्यामलाल केसरवानी
[illegible]

4. सचिवालय का शिक्षा 10 व 15-अनुभाग।
5. सचिवालय वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-11 ।

आज्ञा से
बी.एम.एल. तिवारी
अनु सचिव

संख्या 1960/सत्तर-2-97 2(85)/97

प्रेषक

श्री अतुल चतुर्वेदी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

कुल सचिव
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 11 नवम्बर, 1997

विषय : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण।

महोदय,

[illegible] विश्वविद्यालय [illegible] पाठ्यक्रमों को [illegible]

1) एAआईसीटीई के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम

(1) [illegible] विश्वविद्यालय परिसर में चलाये जा रहे हैं अथवा चलाया [illegible] अस्थायी रूप से चलाये जाने की व्यवस्था, पर्याप्त [illegible]

2) [illegible] परीक्षा [illegible] पालन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कर ली गयी है

3 [illegible] जाना है हेतु शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ता[illegible] लेने की सूचना भी दी जायेगी

(1) संस्थान का संचालन नियमतः रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित है

(2) प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भूमि सोसाइटी/संस्थान के नाम है अथवा [illegible] की व्यवस्था है

(3) [illegible]

(4) एAआईसीटीई के मानकों के [illegible]

[illegible]

1. नार्मल
2. सेल्फ सपोर्टिंग
3. एन0आर0आई0 / एन0आर0आई0 स्पान्सर्ड

[illegible] आर0आई0 [illegible] होगा।

[illegible] प्रस्ताव शासन को सीधे भेजा जायेगा।

[illegible]

5 [illegible]

[illegible]	[illegible]	रू0 8,000.00 [illegible]
2.	सेल्फ सपोर्टिंग	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष
3.	एन0आर0आई0	रू0 75,000.00 प्रति वर्ष

6 **ए0आई0सी0टी0ई0 के परिक्षेत्र से बाहर के पाठ्यक्रम**

[illegible] ए0सी0टी0ई0 परिक्षेत्र से बाहर [illegible]

(1) [illegible] 4551 [illegible] 15-82 [illegible] 80 दिनांक 14-3-1984 द्वारा [illegible]

(2) [illegible] (Paratechnical) पाठ्यक्रमों [illegible]

(3) [illegible] वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा।

(4) [illegible] द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) [illegible] नहीं किया [illegible]

(6) [illegible] वित्तीय भार किसी दशा में शासन वहन नहीं करेगा

(7) [illegible] देने के लिए महाविद्यालय / संस्था स्वतंत्र होगी

(8) मानकों के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत कोर फैकल्टी रखी जायेगी तथा गैस्ट फैकल्टी 25 प्रति[illegible] से अधिक न होगी।

[illegible]

10) इन स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की संस्थाओं में सामान्यतया निगमित [illegible] (Corporate Body) के नियम लागू होंगे।

इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये [illegible] को 30 सितम्बर तक उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए।

[illegible] पाठ्यक्रमों हेतु निम्न प्रकार की सीटें होंगी -

अ-	नार्मल	50 प्रतिशत
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	35 प्रतिशत
स-	एन0आर0आई0 / एन0 [illegible]	5 [illegible]

एन0आर0आई0 [illegible] की अन्यथा व्यवस्था पर परिवर्तनीय होगा।

[illegible] सीटें होंगी जिसमें समस्त छात्रों से समान शिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

[illegible]

अ-	नार्मल	रू0 6,000.00 प्रति वर्ष
ब-	सेल्फ स्पोर्टिंग	रू0 20,000.00 प्रति वर्ष
स-	एन0आर0आई0	रू0 30,000.00 प्रति वर्ष
घ-	बी0ए0 / बी0काम0 / बी0एस-सी0	रू0 5,000.00 प्रति वर्ष

इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्था शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित [illegible]

जो पाठ्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं उन पर उपर्युक्त मानक प्रभावी होंगे।

[illegible] परीक्षण / निरीक्षण कराकर भेजे जायें।

भवदीय
अतुल चतुर्वेदी
सचिव

[illegible] 1960 [illegible] 2 97 2 85 [illegible] 97 [illegible]

[illegible]

[illegible]

सचिव कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन

सचिव प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

उ0शि0 अनुभाग-1 को उक्त मानकों के अनुसार परिनियमों में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही हेतु

निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद

[illegible]

कुलदीप एन0 अवस्थी

[illegible]

प्रेषक

सेवा में

उच्च शिक्षा

विषय :-

महोदय

2

शासनादेश संख्या - 3893/सत्तर-4/97-46(38)/96, दिनांक 30 दिसम्बर 1997

का संलग्नक

राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के [illegible]

पुरुष छात्रावास

परिचर	-	प्रति 25 छात्रों पर एक
चौकीदार	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये 3 आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर
		[illegible]
सफाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर एक
माली	-	एक-यदि छात्रावास में उद्यान है।

महिला छात्रावास

मैट्रन	-	प्रत्येक छात्रावास के लिये एक
नैत्यिक लिपिक	-	एक
आया	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक
माली	-	एक - यदि उद्यान हो।
सफाईकार	-	प्रति 50 कक्षों पर
चौकीदार	-	तीन-प्रत्येक 8-8 घन्टे की ड्यूटी पर।
गेटमैन	-	प्रति गेट पर दो
		प्रत्येक आठ-आठ घन्टे की ड्यूटी पर
[illegible]	-	प्रति 20 छात्राओं पर एक
परिचर	-	प्रति 25 छात्राओं पर एक।

एस0 डी0 तिवारी

विशेष कार्याधिकारी,

संख्या : 736/70-4/2000-46(20)/94

सुधीर कुमार,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,

[illegible]

उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 15 मार्च 20

राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में [illegible] पदों पर [illegible] द्वारा [illegible] जाना।

[illegible]

[illegible]

[illegible] निश्चित अंश शासन/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का वहन करना होता है तथा [illegible] योजनाओं में योजनागत अवधि के [illegible] 15 [illegible] दिनांक 23 जुलाई 1994 [illegible] और पदों के संबंध में वचनबद्धता देगी।

[illegible] सकते हैं अपने स्तर से प्रतिबद्धता देने हेतु स्वतंत्र होंगे।

[illegible] संख्या 2638 [illegible] 15 [illegible] 94-95/20 [illegible]

भवदीय

सुधीर कुमार

सचिव

3- असेवित क्षेत्र में खोले जाने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के मानक

संख्या : 35/सत्तर-6/99-77/98

प्रेषक,

शंकर दत्त तिवारी

विशेष कार्याधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा),

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 19 मई 1999

विषय: निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्र में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिये मानकों का निर्धारण

महोदय,

असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोले जाने हेतु निजी प्रबन्धतन्त्र/संस्थाओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है [illegible] निजी संस्थाओं को अपने सम्पूर्ण अवधि में

अथवा उससे अधिक [illegible] रू0 30 लाख [illegible]

जायेगा। किसी विकास खण्ड में यदि एक ही महाविद्यालय संचालित है और वह नया संकाय जो पहले से वहां पर संचालित न हो खोलना चाहते हैं, तो ऐसे महाविद्यालय भी इस योजना से आच्छादित होंगे। प्रबन्धतन्त्रों / संस्थाओं को [illegible] महाविद्यालय [illegible] हेतु अनुदान दिये जाने हेतु निम्न मानक निर्धारित किये जाते है।

1- 15 किमी0 की परिधि में कोई अन्य महाविद्यालय स्थापित न हो अथवा ब्लाक में पहले से कोई महाविद्यालय न हो

2- महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय प्रस्तावित कक्षाओं में [illegible] पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए।

3- ऐसे स्नातक महाविद्यालयों को एक साथ अथवा अलग-अलग कला, विज्ञान तथा वाणिज्य आदि विषयों की यथावश्यकता क्लियरेन्स / सम्बद्धता दी जा सकेगी।

4- [illegible]

5- [illegible] महाविद्यालय न हो

6- [illegible] 30 [illegible] 50.00 लाख [illegible] बैंक के खाते में आगणन [illegible] 10% जमा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे एवं वह अंडरटेकिंग दे कि [illegible] आगणन का 25% जुटाने में सक्षम है। द्वितीय किश्त तभी अवमुक्त होगी जब [illegible] का 50% व्यय संस्था [illegible] जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा।

7- [illegible] पर इसकी वसूली 18% ब्याज की दर से भू-राजस्व में बकायादार के रूप में वसूली प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों से यथास्थिति प्रस्तावक से की जायेगी

8- स्ववित्त प्रबन्धन पाठ्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे

9- [illegible] महाविद्यालय के नाम दर्ज होना अनिवार्य है। भूमि का क्रय शासन से स्वीकृत [illegible] जायेगा भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित दर पर आगणन में सम्मिलित माना जा सकेगा [illegible] 5 लाख रू0 अन[illegible]

10- महाविद्यालय [illegible]

11- [illegible] / शासन द्वारा निर्धारित हो

संख्या 1991/70-2/98-16(49)/98

प्रेषक,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से
नियंत्रित समस्त विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 1998

विषय :- प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स्व वित्त पोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढाँचे का पुनरीक्षण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में गैर स्व-वित्त पोषण के अन्तर्गत विभिन्न शुल्कों की दरें 01-07-1981 से प्रभावी की गयी थी, जो निम्नानुसार है :-

	शुल्क	दरें
शिक्षण शुल्क रूपये		
1.	(क) स्नातक स्तर	11.00 प्रतिमाह
	(ख) स्नातकोत्तर स्तर व एल.एल.बी.	15.00 प्रतिमाह
	(ग) बी0एड0	18.00 प्रतिमाह
2.	महंगाई भत्ता शुल्क (सभी कक्षाओं के छात्रों से)	3.50 प्रतिमाह
3.	प्रयोगशाला शुल्क ऐसे स्नातक तथा स्नातकोत्तर प्रत्येक छात्रों में से जो विज्ञान संकाय के हैं, अथवा जिन्होंने कला संकाय में एक या अधिक प्रयोगात्मक कार्य युक्त विषय ले रखे हैं	4.00 प्रतिमाह
4.	प्रवेश शुल्क / पुनः प्रवेश शुल्क	3.00 प्रति छात्र
5.	पुस्तकालय शुल्क	
	(क) स्नातक स्तर	3.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
	(ख) स्नातकोत्तर स्तर, बी0एड0, एल0एल0बी0	10.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
6.	विकास शुल्क	20.00 प्रति छात्र प्रतिवर्ष
7.	परीक्षा शुल्क	4.50 प्रति छात्र प्रतिवर्ष (यह शुल्क उन कालेजों में नहीं लिया जायेगा जहां परीक्षा की सुविधा नहीं है)

2. इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बिन्दु विचारणीय है :-

(क) 01-07-1981 के बाद से रूपये की कीमत में व्यापक ह्रास हुआ है।

(ख) विश्वविद्यालयों को अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित साधनों से पूरा किया जा सकना सम्भव नहीं है।

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिये गये उत्तर प्रदेश रिफार्म्स मैट्रिक्स में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उच्च शिक्षा में कॉस्ट रिकवरी किया जाने का प्रयास किया जाये।

(घ) 01-01-1996 से अध्यापकों के वेतनमानों में प्रस्तावित पुनरीक्षण के फलस्वरूप भी अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

उपरोक्त समस्त पहलुओं पर विचार करके तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र में पठन-पाठन तथा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

(क) पुनरीक्षित वेतनमानों के कारण वित्तीय वर्ष 1999-00 में होने वाले अतिरिक्त व्यय भार का शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ख) वित्तीय वर्ष 1999-2000 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 10 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 में होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले 20 प्रतिशत अंश में से 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 5 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

(घ) वित्तीय वर्ष 2001 से होने वाले कुल अतिरिक्त व्यय भार में से 50 प्रतिशत विश्वविद्यालयों द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये।

3. यह भी विदित है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा (7) (14) एवं धारा 52(3)(सी) के प्राविधानों के अनुसार आप सक्षम अनुमोदन से ऐसे अध्यादेश बनवा सकते हैं अथवा पूर्व में बने अध्यादेशों में संशोधन कर सकते हैं जो आपके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध/सहकुला/घटक महाविद्यालयों में विभिन्न शुल्कों का निर्धारण करते हों।

4. उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि आप अपने विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए लिये जाने वाले शुल्कों हेतु अध्यादेश/अध्यादेश संशोधन का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में विलम्बतम एक माह के अन्दर शासन को सहमति हेतु उपलब्ध करा दें।

भवदीय,
विनोद कुमार मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1991(1)/70-2-99-16(49)/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम से नियंत्रित प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों/वित्त अधिकारियों को एवं उच्च शिक्षा निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
कुलदीप एन0 अवस्थी
अनु सचिव।

संख्या 2806/70-4/2000-46(50)/99

सेवा में,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 — लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2000

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले महंगाई शुल्क का निर्धारण पूर्व में आदेश संख्या-1734/पन्द्रह-15-80(11-12), दिनांक 6-5-81 द्वारा किया गया था तब से शासन द्वारा समय-समय पर शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इससे शासन पर व्यवभार कई गुना बढ़ गया है, परन्तु महंगाई शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। इसी प्रकार प्रयोगशाला शुल्क भी उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित किया गया था। तब से प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली सामग्री के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु प्रयोगशाला शुल्क में पुनरीक्षण न होने के कारण महाविद्यालय में प्रयोगशालाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अब प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों से प्रतिमाह रू0 20/- मंहगाई शुल्क के रूप में लिया जायेगा। जिन विषयों में प्रयोगात्मक कार्य कराया जाता है और प्रयोगशालायें स्थापित की गई है उनमें प्रयोगशाला शुल्क भी रू0 20/- प्रतिमाह की दर से लिया जायगा।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार महंगाई शुल्क व प्रयोगशाला शुल्क को लागू कर दिया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या-2806(1)/70-4/2000-तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. सचिव, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद/निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या 2807/70-4/2000-46(50)/99

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 10 अगस्त, 2000

विषय :- राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एल0एल0बी0/बी0एड0 आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हाल में किए गए वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासन पर वित्तीय भार बहुत बढ़ गया है, जबकि शिक्षण शुल्क की दरों में वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है वही शिक्षण शुल्क उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में लिया जायेगा। यदि किसी विश्वविद्यालय में अपने परिसर में बी0एड0 तथा एल0एल0बी0 कक्षायें संचालित नहीं है और इस कारण उस विश्वविद्यालय में इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है तब इन पाठ्यक्रमों में ऐसे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क उसी दर से लिया जायेगा जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है।

वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए निम्नवत् शिक्षण शुल्क निर्धारित किये गये हैं :-

1. बी0एस0 / एम0एस0 — रू0 110/- प्रतिमाह
2. एल0एल0बी0 / एल0एल0एम0 — रू0 75/- प्रतिमाह

(यदि वार्षिक परीक्षा हो)

रू0 1500/- प्रति सेमेस्टर प्रथम 4 सेमेस्टर में तथा रू0 3,000/- प्रति सेमेस्टर अन्तिम 2 सेमेस्टर में (यदि सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था हो)।

कृपया तत्काल महाविद्यालयों में उपर्युक्तानुसार शिक्षण शुल्क लागू किया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश स्ववित्त पोषित योजना के अधीन स्थापित किये गये महाविद्यालयों में लागू न होंगे। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये हों उन पर यह आदेश लागू न होंगे।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव।

संख्या 2807 / 70-4 / 2000,तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।
3. सचिव, वित्त एवं वित्तीय परामर्शदाता (श्री मन्जीत सिंह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद / निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
6. समस्त उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव।

आज्ञा से,
सुधीर कुमार
सचिव।

2. पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति

संख्या 732/5(1)/28-2-80

प्रेषक,

श्री कृष्ण बिहारी मिश्र,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उ0प्र0,
(शिक्षा अर्थ-3 विभाग) इलाहाबाद।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक नवम्बर 17, 1980

विषय :- पर्वतीय अंचल में असेवित क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां उच्च शिक्षा हेतु 10 कि0मी0 परिधि में कोई डिग्री कालेज उपलब्ध न हो, यह क्षेत्र असेवित क्षेत्र समझे जायेंगे। इस क्षेत्र में निवास करने वाले छात्रों को जो उच्च अध्ययन हेतु अपने निवास स्थान से निकटतम महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र (1980-81) से विशेष छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दर छात्रावासों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को रू0 100/- प्रतिमाह तथा ऐसे कालेजों में जहाँ छात्रावास की सुविधा न हो रू0 125/- प्रतिमाह होगी। छात्रवृत्ति की सुविधा केवल स्नातक स्तर तक ही उपलब्ध होगी।

2. राज्यपाल महोदय दर्शमान वित्तीय वर्ष (1980-81) में उक्त प्रयोजन हेतु रू0 2,00,000/- (केवल दो लाख रूपये मात्र) की धनराशि आपके अधिकार में रखते हैं। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूचना यथा समय शासन